तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज टीकूराम बाम पुष्पादेवी वअै अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर –400/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-12-23	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं राज पैरोकार उपस्थित । अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध पूर्व मे एकतरफा कार्यवाही आदेश हो चुके है। बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुवे निवेदन किया गया कि चक 4 बीएचडी के मु0नं0 86/7 के कि0नं0 16 मे 0.2529 हैक्टेयर कमांड, मु0नं0 86/15 के कि0नं0 20 ता22 मे तादादी 0.7587 हैक्टेयर कमांड कुल तादादी 1.0116 हैक्टेयर कमांड खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि मे आने–जाने के लिए कोई कटानी रास्ता नहीं है। जिसके कारण प्रार्थी अपनी भूमि मे आ–जा नहीं सकता चक 3 बीएचडी के मु0नं0 86/14 के कि0नं0 21 ता 25 मे उत्तर सेदक्षिण मे कटानी रास्ता है जा प्रार्थी की खातेदारी भूमि के नजदीक का कटानी रास्ता है इससे अधिक नजदीक एवं सुविधाजनक अन्य रास्ता प्रार्थी के पास नहीं है। प्रार्थी की भूमि से लगभग 3 बीघा की दूरी पर कटानी रास्ता है प्रार्थी अपने खेत` आने–जाने के लिए चक 4 बीएचडी के मु0नं0 86/15 के कि0नं0 1,10,11 की पश्चिम सींव पर उत्तर से दक्षिण 2–2 बिस्वा रास्ता कटाना चाहता है। जिससे प्रार्थी अपनी भूमि में आसानी से आवागमन कर सके प्राथी अप्रार्थी संख्या 1 के चक 4 बीएचडी के मु0न0 86/15 के कि0नं0 1,10,11 की पश्चिम सींव पर उत्तर से दक्षिण 2–2 बिस्वा भूमि जो रास्ते मे आयेगी उसके बदले मे नियमानुसार प्रतिफल राशि देने को तैयार है। रोही चक 3 बीएचडी के मु0नं0 86/14 के कि0नं0 21 ता 25 मे पूर्व से पश्चिम से कटानी रास्ता है लेकिन प्रार्थी की भूमि के मु0नं0 86/15 के कि0नं0 20 ता 22 मे आने–जाने के लिए कटानी रास्ता नहीं है प्रार्थी के चिपता हुआ कटानी रास्ता यही है इसलिए प्रार्थी खसरा नम्बर 86/14 के कि0नं0 1,10,11 मे उत्तर से दक्षिण पश्चिम सींव पर रास्ता कटाना चाहता है जिससे प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि मे आ जा सके व अपने खेत मे पशुधन ट्रेक्टर ले जा सके फसल की रखवाली कर सके। प्रार्थी की भूमि मे आने–जाने के लिए ओर कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है जिसके कारण प्रार्थी की फसल खराब होती रही है। प्रार्थी अपने खेत मे कभी किसी के खेत मे रास्ता मांगकर जाता है कभी किसी अन्य के खेत मे रास्ता कालूनी स्वीकृत नहीं होने के कारण अन्य काश्तकार अपने खेत मे से आने जाने नहीं देते है। जिसके कारण प्रार्थी की फसल उजड़ जाती है व प्रार्थी अपनी जमीन मे काश्त नहीं कर सकते इसलिए प्रार्थी अपने खेत मे आने–जाने के लिए स्वीकृत रास्ता की आवश्यकता है। अतः प्रार्थी वकील द्वारा चक 4 बीएचडी के मु0नं0 86/15 के कि0नं0 1,10,11 की पश्चिम सींव पर उत्तर से दक्षिण 2–2 बिस्वा रास्ता गैर मुमकिन नियमानुसार स्वीकृत करने का आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया। राज पैरोकार द्वारा रास्ता नियमानुसार स्वीकृत करने बाबत सहमति दी । तहसीलदार रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी को खेत मे आने–जाने हेतु हेतु दुसरा कोई विकल्प नहीं है प्रार्थी चक 3 बीएचडी के मु0नं0 86/14 के 21 ता 25 सरकारी रास्ते से अपनी भूमि मे प्रवेश के लिए मु0नं0 86/15 मे कि0नं0 1,10,11 पश्चिम सींव पर उत्तर से दक्षिण दिशा मे प्रत्येक किला मे 2–2 बिस्वा गै0मु0 रास्ता चाहता है उक्त भूमि ही प्रार्थी के आवागमन के लिए उपयुक्त एवं नजदीक की रिपोर्ट की गई है। हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी चक 4 बीएचडी, प्राप्त रिपोर्ट मे आंशिक नजरी नक्शा एवं पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वांछित उक्त रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 4 बीएचडी के मु0नं0 86/7 के कि0नं0 16 मे 0.2529 हैक्टेयर कमांड, मु0नं0 86/15 के कि0नं0 20 ता22 मे तादादी 0.7587 हैक्टेयर कमांड कुल तादादी 1.0116 हैक्टेयर कमांड खातेदारी भूमि तक जाने के लिए चक 3 बीएचडी के मु0नं0 86/14 के 21 ता 25 सरकारी रास्ते से अपनी भूमि मे प्रवेश के लिए चक 4 बीएचडी के मु0नं0 86/15 मे कि0नं0 1,10,11 पश्चिम सींव पर उत्तर से दक्षिण दिशा मे प्रत्येक किला मे 2–2 बिस्वा गै0मु0 पहुंच हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। प्रस्तुत बहस एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को फैसले की प्रमाणित प्रति भेज निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि पर चक 4 बीएचडी के मु0नं0 86/15 मे कि0नं0 1,10,11 पश्चिम सींव पर उत्तर से दक्षिण दिशा मे प्रत्येक किला मे 2–2 बिस्वा गै0मु0 रास्ता नियमानुसार भूमि गणना कर वर्तमान डीएलसी दर के दुगना भुगतान सम्बन्धित को होने पर रिकॉर्ड में अंकन कर मौके पर रास्ता की निशानदेही करावें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । यह आदेश आज दिनांक 22/12/23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (संदीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	